368
1:40pm

संख्या– 135 /XV-3/2015-08(15)/2007(बजट)

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 27 नवम्बर, 2015**

विषय– **वित्तीय वर्ष 2015–16 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मैदानी तालाब निर्माण एवं पर्वतीय तालाब निर्माण आदि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–1101/अनु0जाति(SCSP)/2015–16, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तद्संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य विभाग में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत मत्स्य पालन संबंधी योजना कार्यक्रम अन्तर्गत मैदानी तालाब निर्माण, पर्वतीय तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, गोष्ठी, प्रचार प्रसार एवं साहित्य वितरण के कार्यों हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 120.00 लाख में से अवशेष ₹ 90.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल **₹ 90.00 लाख (₹ नब्बे लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानान्तर्गत किया जायेगा।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 04 जून, 2015 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीं।
6. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा, ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सकेगा।

क्रमशः......2

8. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, (समय–समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
9. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जायेया।
10. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
11. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–15 में अनुदान संख्या–30 में लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन–00–आयोजनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–03–मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–102(P)/XXVII-4/2015, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव

संख्या– /XV-3/2015-08(15)/2007(बजट),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव

क्रमशः ३

शासनादेश संख्या–135 /XV-3/08(15)/2007(बजट)(SCSP), दिनांक 27 नवम्बर, 2015 का संलग्नक

अनुसूचित जाति उपयोजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान सब प्लान) अन्तर्गत जनपदवार वित्तीय विवरण (₹ 90.00 लाख के सापेक्ष) :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 स0	जनपद	मदवार वित्तीय वितरण					
		मैदानी तालाब निर्माण	पर्वतीय तालाब निर्माण	प्रशिक्षण	गोष्ठी	प्रचार–प्रसार एवं साहित्य वितरण	योग
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–	–6–	–7–	–8–
1.	उत्तरकाशी	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
2.	टिहरी गढ़वाल	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
3.	चमोली	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
4.	रूद्रप्रयाग	0	2.94	0.105	0.20	0.32	3.565
5.	पौडी गढ़वाल	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
6.	देहरादून	1.47	5.88	0.30	0.20	0.44	8.29
7.	पिथौरागढ	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
8.	अल्मोडा	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
9.	बागेश्वर	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
10.	चम्पावत	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
11.	नैनीताल	0	5.88	0.27	0.20	0.44	6.79
12.	उधमसिंहनगर	9.31	0	0.27	0.20	0.24	10.02
13.	हरिद्वार	6.37	0	0.195	0.20	0.25	7.015
	योगः–	**17.15**	**61.74**	**3.30**	**2.60**	**5.21**	**90.00**

भौतिक लक्ष्यः–

क्र. स.	जनपद	मैदानी तालाब निमार्ण (यूनिट 0.20 है0)	पर्वतीय तालाब निमार्ण (यूनिट 0.01 है0)	प्रशिक्षण (संख्या)	गोष्ठी (संख्या)
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–	–6–
1.	उत्तरकाशी	-	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
2.	टिहरी गढ़वाल	-	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
3.	चमोली	-	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
4.	रूद्रप्रयाग	-	07 यूनिट (0.07 है0)	07	01
5.	पौडी गढ़वाल	-	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
6.	देहरादून	03 यूनिट (0.60 है0)	14 यूनिट (0.14 है0)	20	01
7.	पिथौरागढ	-	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
8.	अल्मोडा	-	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
9.	बागेश्वर	.	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
10.	चम्पावत	.	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
11.	नैनीताल	.	14 यूनिट (0.14 है0)	18	01
12.	उधमसिंहनगर	19 यूनिट (3.80 है0)	.	18	01
13.	हरिद्वार	13 यूनिट (2.60 है0)	.	13	01
	कुल योग	35 यूनिट (7.00 है0)	147 यूनिट (1.47 है0)	220	13

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव